भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 538052

अनुबंध पत्र

यह अनुबंध जिला स्वास्थ्य समिति, जालौन की ओर से सी0एच0सी0/पी0एच0सी0, मुख्यालय, डी0पी0एम0यू0 एवं मेन्टल कार्यक्रम में सर्पोटिंग सुपरवीजन के अन्तर्गत किराये पर लिये जाने वाले वाहन हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जालौन (प्रथम पक्ष) एवं मैसर्स ओम टूर्स एफ0एफ0 2 यशपाल मार्केट संगीता रोड शाहगंज आगरा (द्वितीय पक्ष) के बीच किया जा रहा हैं। अनुबंध की शर्ते निम्नप्रकार हैं–

1. यह अनुबंध आज दिनांक 4/7/18 से प्रारम्भ होकर दिनांक 31.03.2019 की मध्य रात्रि तक अथवा नई निविदा होने तक के लिये किया जा रहा हैं।
2. द्वितीय पक्ष ने इस हेतु जमानत धनराशि रू0 178000/– जिला स्वास्थ्य समिति जालौन के पक्ष में रिलीज कराते हुये जमा की हैं द्वितीय पक्षकार द्वारा इस अनुबंध की शर्तो को पूरा न करने पर या उल्लंघन करने पर अनुबंध/निविदा करने निरस्त करने की स्थिति में यह जमानत धनराशि जब्त कर शासन के खाते में जमा कर दी जायेगी।
3. द्वितीय पक्षकार को किसी भी धनराशि पर कार्यालय/शासन द्वारा ब्याज देय नही होगा।
4. आयकर एवं अन्य समस्त कर वैधानिक देयताओं की कटौती नियमानुसार सफल निविदादाता द्वितीय पक्ष के बिल से की जायेगी।
5. द्वितीय पक्षकार को कोई भी भुगतान अग्रिम नही किया जायेगा।
6. इस अनुबंध के परिपालन में द्वितीय पक्षकार मतभेद/विवाद होने पर उसके निस्तारण हेतु द्वितीय पक्षकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालौन को लिखित में सूचित करेंगे।
7. निविदा 31.03.2019 तक अथवा वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर सामान शर्तो एवं नियमों पर दोनो पक्षों की सहमति पर अगली निविदा होने तक के लिये मान्य होगी।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे सभी वाहन आर0टी0ओ0 द्वारा अधिकृत टैक्सी परमिट वाहन ही प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये जायेंगे।
9. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन के ड्राईवर के पास ट्रान्सपोर्ट ड्राईविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य हैं।
10. प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से किये गये दर अनुबंध पूर्ण रूप से या कुछ भाग को समाप्त करने का अधिकार रखता हैं और दर अनुबंध को पुनः संशोधित किया जा सकता हैं
    क. यदि फर्म/एजेन्सी लिक्वेडेशन हो जाती या बैंकृष्ट हो जाती हैं।
    ख. एजेन्सी समय पर वाहन उपलब्ध कराने में असफल होती हैं।
11. द्वितीय पक्ष को वाहनों का भुगतान मासिक रूप से किया जायेगा एवं लॉगबुक की सम्बंधित भ्रमण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जायेगा।

12. प्रथम पक्ष द्वारा किये गये शेडयूल एवं समय का कडाई से पालन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा शेडयूल व समय का पालन द्वितीय पक्ष द्वारा न करने पर अथवा कियान्वयन देरी करने पर प्रथम पक्ष निम्न अधिकार रखता हैं।

क. समय से वाहन उपलब्ध न होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष एजेन्सी की लागत व जोखिम पर टैक्सी किराये पर ले ली जायेगी एवं रू0 1000/– प्रतिदिन की दर से बतौर दण्ड के रूप में द्वितीय पक्ष के बिल से कटौती कर ली जायेगी।

ख. दर अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा एवं सिक्योरिटी/जमानत की धनराशि जब्त करने का अधिकार होगा।

13. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को एक माह का नोटिस देने के उपरान्त किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु किये गये अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार होगा अथवा किये गये अनुबंध में परिवर्तन का अधिकार होगा।
14. द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार के सभी क्लेम्स की क्षतिपूर्ति, मांग, लागत, खर्चे, ईनाम, मुआवजा, इत्यादि हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा। प्रथम पक्ष की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
15. यदि दोनो पक्षों के मध्य कोई विवाद होता हैं और 30 दिन के अन्दर विवाद सुलझता नही हो तो उस स्थिति में दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष आर्बिट्रेशन एवं कन्सोलियेशन एक्ट 1996 के अन्तर्गत दो सप्ताह के अन्दर आर्बिट्रेशन के लिये सन्दर्भित कर सकता हैं। विवादित मामलों में न्यायक्षेत्र जालौन तक सीमित रहेगा और सम्बंधित सम्भाग का आयुक्त आर्बिट।
16. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपद से वाहन भ्रमण हेतु प्रशासनिक कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपयोग किये जा सकते हैं।
17. वाहन को माह में 1500 किमी0 न्यूनतम 25 दिन चलाना अनिववार्य होगा अन्यथा अनुपातिक कटौती की जायेगी।
18. कार्यकम के लिये लगभग 25 दिन वाहन कार्य करेगा वाहन को इस कार्य अतिरिक्त अन्य कार्य/प्रशासनिक कार्य के लिये उपयोग किया जा सकता हैं।
19. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन की लॉकबुक में समय विस्तृत विवरण मायलेज और सम्बंधित अधिकारी के हस्ताक्षर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
20. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों के सीट कवर नियमित तौर पर साफ रहना चाहिये और नियमित रूप से परिवर्तित होते रहना चाहिये।
21. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन के रीडिंग मीटर नियमित तौर कियाशील रहना चाहिये वाहनों की लॉगबुक का सम्बंधित ड्राईवर रख–रखाव करना होगा।
22. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन के ड्रोइवर और वाहन विना सक्षम स्तर की स्वीकृति के विना परिवर्तित नही किये जायेगे।
23. निविदा में प्राप्त न्यूनतम दरों में सर्पोटिव सुपरवीजन 11 वाहन हेतु रू0 30330/– डी0पी0एम0यू0–1 एवं मेन्टल कार्यकम–1 हेतु रू0 29880/– का अनुबंध किया जा रहा हैं।
24. निविदा अवधि के दौरान द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किराये पर दिये गये वाहनों के दर में कोई बदलाव नही होगा।
25. प्रत्येक वाहन की उपलब्ध करायी गयी दर में केन्द्रीय व राज्य जी0एस0टी0 शामिल होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये प्रति वाहन की दरों में ईंधन की लागत, ड्राईवर की लागत वाहन का रख–रखाव और किसी भी प्रकार की अन्य लागत (मैटेरियल, लेबर, कास्ट, परिवहन लागत करों में परिवर्तन) शामिल होगा। उक्त अनुमोदित दरों के अतिरिक्त कोई भी अतिरिक्त धनराशि देय नही होगी।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)	हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)
4/7/18	Om Yoswamy
मुख्य चिकित्सा अधिकारी	मैसर्स ओम टूर्स
सदस्य सचिव/ जिला स्वास्थ्य समिति, जालौन	एफ0एफ0 2 यशपाल मार्केट
मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालौन, स्थान-उरई	संगीता रोड शाहगंज आगरा
	OM TOURS FF2, YASHPAL MARKET SHAHGANJ, AGRA-10

साक्षी

Pankaj Rawat 86 N.L Rawat Shahganj Agra RA.

हस्ताक्षर

नाम व पूरा पता–

Arun Parashar 8/62 Bhogipura

साक्षी

हस्ताक्षर

नाम व पूरा पता–

Arun Parashar 8/62 Bhogipura. Agra

Supportive Supervision Vehicle Hiring - Block wise information 2018-19

S. No.	Name of Dividion	Name of District	Block Name	Vehicle No.	Date of Hiring	Agreement copy attached
1	Jhansi	Jalaun	Kadaura	UP92T 5994	11/8/2018	Attached
2			Pindari	UP92T 8808	10/8/2018	Attached
3			Jalaun	UP79P3775	8/7/2018	Attached
4			Rampura	UP92W 7301	8/7/2018	Attached
5			Madhaughad	UP92T 6290	10/8/2018	Attached
6			Dakore	UP92V 6970	10/7/2018	Attached
7			Kuthond	UP92T 9129	6/7/2018	Attached
8			Nadigaon	UP92P 9462	6/7/2018	Attached
9			Babai	UP92T 7995	8/7/2018	Attached

Chief Medical Officer
Jalaun at Orai

Supportive Supervision Vehicle Hiring - District level information 2018-19

Name of District	Name of Agreement Signing Officer	Vehicle No.1	Date of Hiring	Vehicle No. 2	Date of Hiring	Agreement copy attached
Jalaun	CMO	UP92 S 9199	10/7/2018	-		Attached

Chief Medical Officer
Jalaun at Orai